कण्डिका–10

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही

धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत धमतरी–अंजोरा, अंजोरा–नगरी, दोमपदर–मानपुर, काडादाह–माडमसिल्ली एवं गोबरानवापारा–पाण्डुका के मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 165.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 3.786 हे. वनभूमि प्रस्ताव का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में बिना स्वीकृति प्राप्त किये रकबा 0.0004 हे. क्षेत्र में कार्य कर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन अंतर्गत किये गये कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन संलग्न है।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी

36A

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का प्रतिवेदन

जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड़ द्वारा धमतरी वनमण्डल अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् रकबा 3.786 हे. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में केरेगांव परिक्षेत्र के आरक्षित कक्ष क्रमांक 163 में मुख्य मार्ग के किनारे ठेकेदार द्वारा केबल पाईप बिछाने हेतु दो स्थानों पर 3.00x0.60x0.45 मीटर आकार में खुदाई किया गया है। इस प्रकर बिना स्वीकृति प्राप्त किये आवेदक विभाग द्वारा रकबा 0.0004 हे. (2x3.00x0.60) क्षेत्र में कार्य कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने के कारण आवेदक संस्थान के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1468/24 दिनांक 08.07.2021 पंजीबद्ध किया गया है। परिक्षेत्र सहायक बनरौद द्वारा प्रकरण की विस्तृत जाँच उपरांत संबंधित ठेकेदार को उक्त अपराध हेतु जवाबदार पाया गया। प्रकरण में ठेकेदार द्वारा किये गये उल्लंधन हेतु अर्थदण्ड की राशि रू. 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) अधिरोपित कर मनी रसीद क्रमांक 17553/21 दिनांक 02.07.2022 के माध्यम से वसूल कर बैंक चालान क्रमांक 218749677/42 दिनांक 08.07.2022 द्वारा खजाना दाखिला किया गया है। प्रकरण में उल्लंधन के विरूद्ध अर्थदण्ड की राशि ठेकेदार द्वारा जमा किये जाने के उपरांत उप वनमण्डलाधिकारी धमतरी द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1468/24 को नस्तीबद्ध किये जाने की अनुसंशा की गई है।

प्रकरण में किये गये उल्लंघन का विवरण निम्नानुसार है:–

उल्लंघन का कार्य/रकबा	:–	बिना स्वीकृति प्राप्त किये आवेदक विभाग द्वारा दो स्थानों पर 3.00X0.60X0.45 मीटर खुदाई कार्य कर रकबा 0.0004 हे. क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।
जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी	:–	ठेकेदार, जियो नेटवर्क संचार क्रांति धमतरी क्षेत्र।
उल्लंघन के विरूद्ध की गई कार्यवाही	:–	बिना स्वीकृति प्राप्त किये रकबा 0.0004 हे. क्षेत्र में कार्य किये जाने के कारण उल्लंघन के विरूद्ध ठेकेदार से दण्ड स्वरूप अर्थदण्ड की राशि रू. 10,000/– वसूली की गई है। उप वनमण्डलाधिकारी धमतरी द्वारा वन अपराध प्रकरण अभिसंधानित कर नस्तीबद्ध किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी

वन मंडलाधिकारी,
धमतरी वन मण्डल, धमतरी

(36 B)

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी धमतरी, वनमंडल धमतरी (छत्तीसगढ़)

E-mail- sdodmt-forest.cg@gov.in Mo. 75870-11510

क्रमांक/ 1561 धमतरी, दिनांक : 03 /08/2022

प्रति

वन मण्डलाधिकारी,

धमतरी वनमण्डल, धमतरी

विषयः— पी.ओ.आर. प्रकरण अभिसंधानित कर नस्तीबद्ध करने बावत्।

संदर्भ:— वन परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव का पत्र क्रमांक/1053 दिनांक 19.07.2022

— 00 —

विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि केरेगांव परिक्षेत्र के बनरौद सर्कल के माकरदोना बीट अंतर्गत धमतरी से नगरी मार्ग के समीप आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 163 में मुख्य मार्ग के किनारे जिओं नेटवर्क संचार क्रांति धमतरी क्षेत्र के ठेकेदार द्वारा केबल पाईप बिछाने हेतु वन क्षेत्र में दो स्थानों पर 3 x 0.60 x 0.45 मीटर आकार में कार्य में लगे श्रमिकों द्वारा गड्ढा खुदाई किया गया था, परिसर रक्षक माकरदोना द्वारा अपने सहयोगी स्टाफ के साथ मौके पर पहुँच कर वन विभाग के बिना कोई अनुमति के हो रहे अवैध खुदाई पर शासकीय कार्यवाही करते हुए प्रभारी जिओ नेटवर्क संचार क्रांति कंपनी धमतरी क्षेत्र के विरूद्व वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1468/24 दिनॉक 08.07.2021 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विस्तृत जॉच परिक्षेत्र सहायक बनरौद द्वारा किया गया, जिसमें अभियुक्त पक्षकार द्वारा अपना ब्यान दर्ज करवाते हुए कार्य निष्पादन हेतु ठेके पर दिए गए संबंधित ठेकेदार को उक्त अपराध हेतु जवाबदार ठहराया गया है एवं प्रकरण से संबंधित जो भी जुर्माना हो, संबंधित ठेकेदार से वसूलने की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए संबंधित ठेकेदार से अर्थदण्ड राशि 10,000.00 रू.(अक्षरी— दस हजार रूपये मात्र) अधिरोपित कर मनी रसीद क्रमांक 17553/21 दिनांक 02.07.2022 के माध्यम से वसूल कर बैंक चालान क्रमांक 218749677/42 दिनांक 08.07.2022 के माध्यम से खजाना दाखिला किया गया।

अतः परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव के प्रतिवेदन से सहमत हूं। प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है। प्रतिवेदन आपकी ओर सादर सम्प्रेषित।

संलग्नः— प्रकरण मूलतः (पृष्ठ 01 से 25 तक)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी प्राप्ति धमतरी (छ.ग.)

4/8/22

उप वनमण्डलाधिकारी

धमतरी

D:/SAMEER/ALL DOCUMENT/POR/2019-20/Memo2020

36C

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, केरेगांव

दूरभाष – 07722-241501 EMail-ID : rokere-forest.cg@gov.in

क्रमांक/1053 दिनॉंक: 19/07/2022

प्रति,

उप वनमंडलाधिकारी

धमतरी

विषय :– पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक 1468/24 दिनॉंक 08.07.2021 अभिसंधानित एवं नस्तीबद्ध करने बाबत् ।

***

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि दिनॉंक 08.07.2021 को इस परिक्षेत्र के तहत बनरौद सर्कल के माकरदोना बीट के अंतर्गत धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग के समीप आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 163 में मुख्य मार्ग के किनारे जिओ नेटवर्क संचार क्रांति धमतरी क्षेत्र के ठेकेदार द्वारा केबल पाईप बिछाने हेतु वन क्षेत्र में दो स्थानों पर 3 x 0.60 x 0.45 मीटर आकार में कार्य में लगे श्रमिकों द्वारा गड्ढा खुदाई किया गया था, परिसर रक्षक माकरदोना द्वारा अपने सहयोगी स्टाफ के साथ मौके पर पहुँच कर वन विभाग के बिना कोई अनुमति के हो रहे अवैध खुदाई पर शासकीय कार्यवाही करते हुए प्रभारी जिओ नेटवर्क संचार क्रांति कंपनी धमतरी क्षेत्र के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1468/24 दिनॉंक 08.07.2021 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण कि विस्तुत जॉंच परिक्षेत्र सहायक बनरौद द्वारा किया गया, जिसमें अभियुक्त पक्षकार द्वारा अपना ब्यान दर्ज करवाते हुए कार्य निष्पादन हेतु ठेके पर दिए गए संबंधित ठेकेदार को उक्त अपराध हेतु जवाबदार ठहराया गया है, एवं प्रकरण से संबंधित जो भी जुर्माना हो, संबंधित ठेकेदार से वसूलने की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अग्रीम कार्यवाही करते हुए संबंधित ठेकेदार से अर्थदण्ड़ राशि 10,000.00 रू.(अक्षरी– दस हजार रूपये मात्र) रूपये मनी रसीद क्रमांक 17553/21 दिनांक 02.07.2022 के माध्यम से वसूल कर बैंक चालान क्रमांक 218749677/42 दिनांक 08.07.2022 के माध्यम से खजाना दाखिला किया गया। अस्तु प्रकरण अभिसंधानित एवं नस्तीबद्ध करने की अनुशांसा सहित प्रकरण मूलतः आपकी ओर सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः – 1. कार्यवाही तख्ता –03 प्रति।
2. पी.ओ.आर. पर्त –01 प्रति।
3. जप्तीनामा पर्त– 01 प्रति।
4. मौका पंचनामा –01 प्रति।
5. वन रक्षक का ब्यान–01 प्रति।
6. गवाहों का ब्यान –01 प्रति।
7. नजरी नक्शा –01 प्रति।
8. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि.सं.धमतरी का पत्र –05 प्रति।
09. प्रभारी जियो संचार क्रांति कंपनी धमतरी नोटिस पत्र– 01 प्रति।
10. अभय थीटे वल्द अप्पाराव थीटे का ब्यान– 02 प्रति।
11. राजीनामा पत्र– 02 प्रति।
12. वन अपराध प्रकरण प्रतिवेदन–01 प्रति।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

केरेगांव

36 D
(6)

वन भूमि की खुदाई ① 3X·60X·45 मी = 0·810
② 3X·60X·45 मी = 0·810
= 1·620 घ.मी.

① 1 नग जेसीबी ② 1 नग गैंती ③ 1 नग फावड़ा
④ 1 नग महिन्द्रा ट्रेक्टर ट्रॉली सहित

IX-45—2
Fo. H. & M. (H.) — भाग दूसरा — चेचिस नं- MBNABAJAKHJG01180

1468 मध्यप्रदेश ... जंगल

Rc/e— 52

मुकुल्ला जुर्म की अव्वल रिपोर्ट

१. नम्बर रिपोर्ट 1468/24 तारीख 08/07/2021 सन् १९

२. मुजरिम का नाम, जाति व सकूनत प्रभारी जीओ नेटवर्क संचार क्रांति कंपनी धमतरी छ.ग.

३. किस्म जुर्म वन क्षेत्र में अवैध खुदाई भा. वन अपराध अधि. 1927 की धारा 26 (1) ज के अंतर्गत

४. जगह जहां जुर्म वाके हुआ नगरी से धमतरी मुख्य मार्ग के किनारे RF-163 वन चौकसपारा

५. तारीख वकूआ जुर्म 08/07/2021

६. तफसील जब्त शुदा माल और कारंवाई जो अमल में लाई गई. ऊपर अंकित है

७. नाम गवाहान ① आलम/महेत्तरू-सिंह-नमापारा ② गोविन्द/दिनेराम-ध्रुव-मोहंदी

दुसरा भाग रंज असिस्टेन्ट उपनरीफ सांकिल को भेजा गया

तीसरा भाग रंज आफिसर केरेगांव रंज को भेजा गया

मुकाम भाकरदोना — परिसर रक्षक

तारीख 08/07/2021 — परिसर रक्षक भाकरदोना

नोट—यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के ४८ घंटे के अन्दर बमूजिम पैरा ७७ (अ) (३) फारेस्ट मैनुअल भाग १ के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिये.

नक्शा (मौका स्थल)

[illegible]री से हामलरी P.W.D मुख्य मार्ग के किनारे।
R.F. 163 वन क्षेत्र - बांसपारा -
बीट :- माकरखोला, 04 - परिक्षेत्र - बलरौद
परिक्षेत्र - केरेगांव।

P.O.R. No -
1468/24
दि :- 08/07/2021.

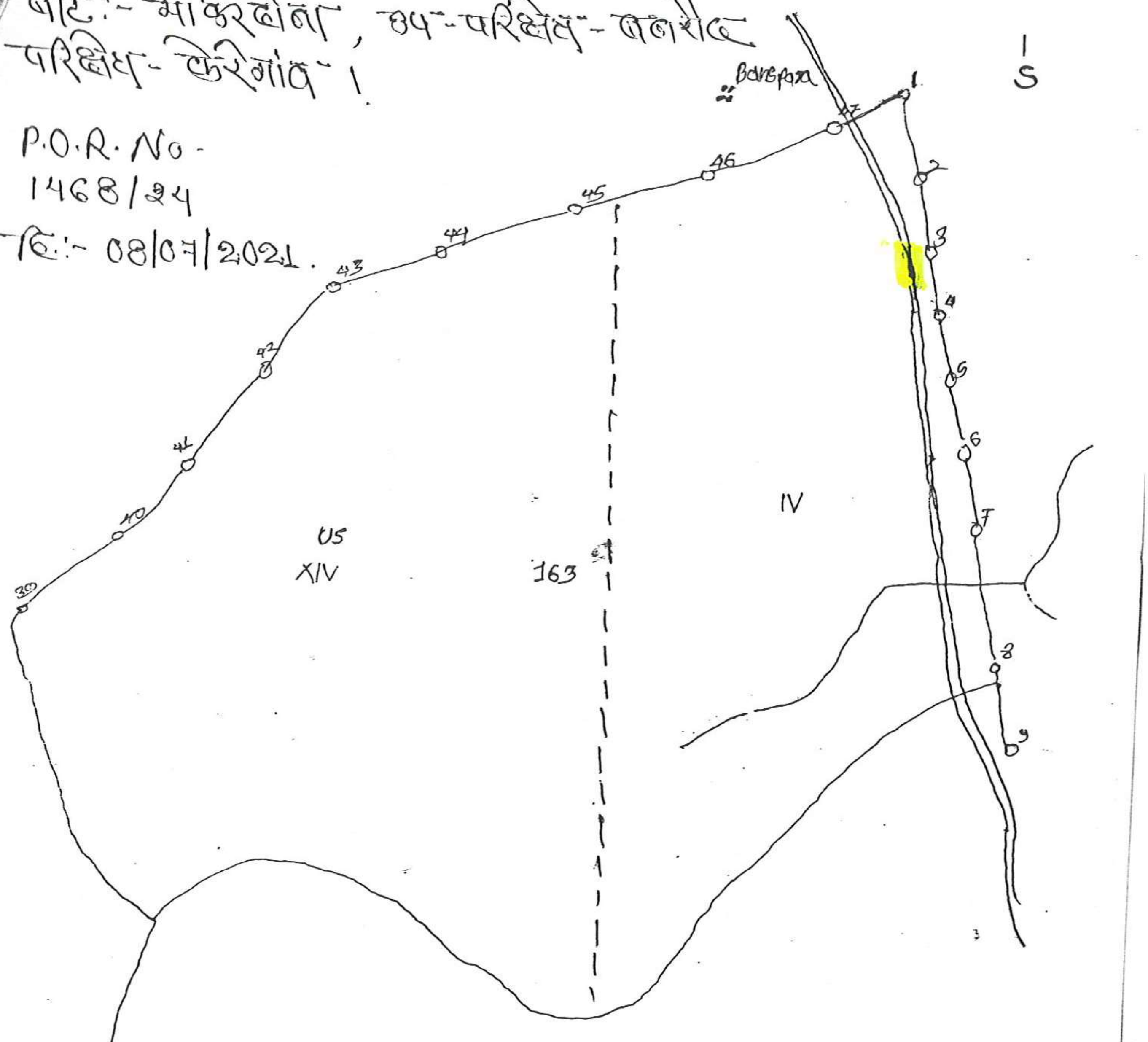

संकेत	
कक्ष सीमा	–o–o–o–
कूप सीमा लाईन	- - - - - -
नदी नाला	
मुख्य मार्ग	
मौका स्थल	

सहायक परिक्षेत्र अधिकारी

परिसर रक्षक